प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष- 2022 प्र0इ0रि0 सं. ......450/2022......दिनांक......24/11/2022......

2. (I) अधिनियम:-धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018

   (II) अधिनियम .... धारायें ....

   (III) अधिनियम .... धारायें ....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या ......417 समय ......6:P.M..........

   (ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार, दिनांक 23.11.2022 समय 06.05 पीएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 22.11.2022 समय 03.00 पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :-पुलिस थाना जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब उत्तर पूर्व करीब 40 किमी

   (ब) बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना ....जिला ....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री बिल्लू चौपड़ा

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री कैलाश चौपड़ा,

   (स) जन्म तिथी- उम्र-30 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय -प्राईवेट ई-मित्र

   (ल) पता- निवासी ग्राम पंचायत निठारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

श्रीमती संगीता पत्नि श्री पवन कुमार मीना, जाति मीना, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रानोली, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर हाल पुलिस उप निरीक्षक, थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-5,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 22-11-2022 को परिवादी श्री बिल्लू चौपड़ा पुत्र श्री कैलाश चौपड़ा, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत निठारा, तहसील शाहपुरा ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि'' सेवामे, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर देहात, विषय-पुलिस थाना जवरामगढ जिला जयपुर की थानेदार श्रीमती संगीता मीणा द्वारा रिशवत मांगने के क्रम मे महोदय, निवेदन है कि मै चौपड़ा ई मित्र सेंटर बुज जमवारामगढ़ मे चलाता हूं, मेरे ई मित्र पर सुमन देवी पालनहार स्कीम मे सत्यापन सम्बन्धी काम करवाने आयी थी, श्रीमती सुमन देवी ने पुलिस थाना जमवारामगढ़ मे मेरे तथा मेरे भाई दिलीप की झूंठी शिकायत की थी कि उसके पालनहार योजना के पैसे निकलवा लिये, उक्त शिकायत के क्रम मे संगीता मीना थानेदार ने मुझे थाना जवारामगढ़ मे बुलाया तथा उक्त केस मे गिरफतार करने की धमकी दी मेने उनसे कहा कि

शिकायत झूंठी है, इस पर संगीता थानेदार ने मुझसे कहा कि इस शिकायत मे FR लगवानी है, तो मेरे को 7000 रू रिशवत के दे दो मैने उनसे कहा कि अभी मेरे पास रू नही है, दिनांक 24-11-22 तक 5000/ दे दुंगा मै उक्त भ्रष्ट थानेदार को रिशवत नही देना चाहता उसको रिशवत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हुं कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी एसडी/- बिल्लू चौपड़ा S/o कैलाश चन्द्र चौपड़ा निवासी ग्राम पंचायत निठारा त. शाहपुरा जिला जयपर 7426851027 दिनांक 22-11-22''। जिस पर दिनांक 23-11-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपिया संगीता मीना पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा परिवादी के विरूद्व पुलिस थाना जमवारामगढ़ मे दर्ज प्रकरण मे मदद करने की ऐवज में 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया।

दिनांक 23-11-2022 को परिवादी श्री बिल्लू चौपड़ा पुत्र श्री कैलाश चौपड़ा, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत निठारा, तहसील शाहपुरा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री बिल्लू चौपड़ा ने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये 10 नोट राशि 5,000/- रूपये कुल 5,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटो पर श्री रामकल्याण मीना हैड कानि0 25 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 23-11-2022 को मन् पुलिस निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह व परिवादी एवं उसका भाई, ब्यूरो स्टॉफ मय स्वतंत्र गवाह मय आवश्यक सरकारी ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि के सरकारी वाहन व मोटर साईकिल व प्राईवेट वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर थाना जमवारामगढ़ के पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

दिनांक 23-11-2022 को समय करीब 06.05 पीएम परिवादी श्री बिल्लू चौपड़ा पुत्र श्री कैलाश चौपड़ा, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत निठारा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर पुलिस थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण से बिना ईशारा किए हुए थाना परिसर के बाहर मुर्करर स्थान पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया जिससे पूर्व मे सुपुर्द विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी मे बताया कि मै आपके पास से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर एवं रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 5000/- रूपये लेकर पुलिस थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण पर पहूंचकर श्रीमती संगीता थानेदार जी को देने के लिए मेरी मोटर साईकिल से गया था मोटर साईकिल थाना परिसर के अन्दर खड़ी कर थानेदार जी संगीता जी के द्वारा पूर्व मे बताए गए रिश्वत के रूपये 5000/- रूपये देने के लिए उनके कमरे मे गया तो वह टेलीफोन से बात कर रही थी मैने कहा कि मैडम मै आ गया और यह भी बताया कि मैडम मैने सुबह से खाना भी नही खाया तो मैडम ने कहा क्यो और कहा कि पैसे कहा से लेकर आया है तब मैने मेडम को कहा कि भानपुर कलां से लेकर आया हूं इस पर मैडम ने अनिता नाम से आवाज लगाई तब मैने कहा कि मै रूपये आपको ही दूंगा तब मैडम ने कहा कि लाओ इस पर मैने मेरी जेकिट के जेब से निकाल कर मैडम को दिए तो उन्होने अपने हाथ मे लेकर बोली की यह तो एक हजार रूपये ही है और मैडम ने कहा कि पांच हजार रूपये की बात हो गई थी यह तो एक हजार रूपये ही है इस पर मेने मैडम से कहा कि मैडम चार हजार रूपये कही गिर गए मुझे एक हजार रूपये वापस दो मै रूपये ढूंढकर वापस लाता हूं इस पर मैडम ने मुझे एक हजार रूपये वापस दे दिए जो मेरी जेब मे ही रखे है। इस पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिवादी श्री बिल्लू चौपड़ा की जामा तलाशी लिवाई गई तो परिवादी की जाकिट की बांयी जेब मे दो नोट पांच पांच सौ रूपये कुल एक हजार रूपये मिले है। उक्त नोटो के अलावा ओर कोई रूपये परिवादी के पास नही मिले। दो नोट जो पांच पांच सौ रूपये के मिले है उनका मिलान पूर्व मे बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो मे से निम्न दो नोटो के नम्बर 4GG 582899 व 4GG 582900 होना पाए गए। जिनको सुरक्षित स्वतंत्र गवाह श्री लालचंद के पास रखवाए गए।

तत्पश्चात् परिवादी से गहन पूछताछ की गई तो परिवादी ने पूर्व की बताई हुई बातो को वापस दौहराते हुए कहा कि मै आपके पास से मोटर साईकिल से जब थाने मे गया तब रास्ते मे कही गिर गए। तब परिवादी व स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ को साथ लेते हुए

व परिवादी के बतायेनुसार रास्ते मे नोटो को तलाश करते हुए पुलिस थाना जमवारामगढ़ पर पहूंचा तो थाना के मैनगेट से थाने की मैस की तरफ वर्दी पहने हुए जाती हुई टू-स्टार की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही थानेदार जी संगीता जी है। इस पर उक्त महिला अधिकारी को श्रीमती सुनिता म.कानि0 से रूकवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उक्त महिला अधिकारी का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संगीता पत्नि श्री पवन कुमार मीना, जाति मीना, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम रानोली, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर हाल पुलिस उप निरीक्षक, थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर होना बताया। इस पर श्रीमती संगीता मीना पुलिस उप निरीक्षक से परिवादी श्री बिल्लू चौपड़ा के खिलाफ पुलिस थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण मे प्रकरण दर्ज होने बाबत पूछा तो श्रीमती संगीता मीना पुलिस उप निरीक्षक ने बताया कि बिल्लू चौपड़ा के विरूद्व पुलिस थाना जमवारामगढ़ मे मु0नं0 188/2022 दर्ज है जिसका अनुसंधान मै कर रही हूं आज सुबह बिल्लू चौपड़ा मेरे पास आया था तथा अपने मुकदमे की बातचीत कर चला गया था अभी-अभी कुछ समय पहले बिल्लू चौपड़ा मेरे पास आया तब मै मेरे मोबाईल से बातचीत कर रही थी बिल्लू चौपड़ा ने मुझे अपनी फोटो एवं आईडी दी इसके बाद मुझे एक हजार रूपये अपनी जेब से निकाल कर देने लगा तब मैने कहा कि एक हजार रूपये का मै क्या करू तब इसने कहा कि मेरे रूपये चार हजार कही गिर गए मैने इससे मैने एक हजार रूपये नही लिए। उक्त श्रीमती संगीता मीना पुलिस उप निरीक्षक की बताई हुई बात का खण्डन करते हुए पास खड़े परिवादी ने कहा कि साहब मेडम झूंठ बोल रही है आज सुबह मुझसे पांच हजार रूपये रिश्वत के मांगे थे और इनकी मांग के अनुसार ही अभी-अभी कुछ समय पहले इनको देने पांच हजार रूपये रिश्वत के देने आया था परन्तु रास्ते मे मेरी जेब से चार हजार रूपये कही गिर गए इस बात का मुझे जब थानेदार जी को पैसे देने लगा तब चार हजार रूपये कही पर गिर जाने का मालूम चला था। एक हजार रूपये मुझसे थानेदारजी ने अपने हाथ मे लेकर व कम होने की बात कहते हुए मुझे एक हजार रूपये वापस दे दिए थे। इस पर श्रीमती सगीता पुलिस उप निरीक्षक को हमराह लेते हुए पुलिस थाना परिसर में पहूंचकर एचएम रिकार्ड/अनुसंधान कक्ष में पहूंचा।

तत्पश्चात् थाना परिसर से एक प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सेाडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्रीमती संगीता मीना पुलिस उप निरीक्षक के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्रीमती संगीता मीना पुलिस उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि जो पूर्व मे स्वतंत्र गवाह श्री लालचंद के पास के पास सुरक्षित रखवाए गए थे जिनके नम्बरी नोट क्रमशः 4GG 582899 व 4GG 582900 थे जिनका मिलान कार्यालय मे बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया फर्द पेशकशी मे अंकित क्रम संख्या 9 व 10 पर अंकित नोटो के नम्बर हूंबहू पाए गए। जिनको एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द पृथक से जब्त कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् फर्द पेशकशी मे अंकित क्रम संख्या 01 से 08 तक के पांच पांच सौ रूपये के 08 नोट परिवादी से गुम हो

गए है जिनको आस पास तलाश किया गया परन्तु उक्त 8 नोट नही मिले है इस संबंध में पुलिस थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण में गुमशुदगी पृथक से दर्ज करवाई गई।

तत्पश्चात् परिवादी के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 188/2022 की पत्रावली के बारे मे श्रीमती संगीता मीना पुलिस उप निरीक्षक से पूछा गया तो श्रीमती संगीता मीना ने अपनी टेबिल के उपर रखी अन्य पत्रावलियो मे से प्रकरण संख्या 188/2022 की पत्रावली पेश की जिसका अवलोकन किया जाकर पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति पेश करने हेतु प्रकरण की मूल पत्रावली थानाधिकारी पुलिस थाना जमवारामगढ़ को सुपुर्द की गई। प्रकरण की पत्रावली की फोटो प्रति प्रमाणित जरिये फर्द जप्ती अभिलेख प्राप्त की गई। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी एवं आरोपिया की रिश्वत लेन देन से संबंधित रिकार्ड वार्ता होना पाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडी तैयार की गई।

अब तक की कार्यवाही से श्रीमती संगीता मीना पत्नि श्री पवन कुमार मीना, जाति मीना, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रानोली, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर हाल पुलिस उप निरीक्षक, थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर ने परिवादी श्री बिल्लू चौपड़ा के विरूद्व दर्ज प्रकरण मे मदद करने की ऐवज में 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण मे दिनांक 23-11-2022 को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपिया श्रीमती संगीता मीना को परिवादी जब रिश्वत के 5,000/- रूपये अपनी कोटि (जेकिट) की जेब से निकाल कर दिया तो श्रीमती संगीता मीना उप निरीक्षक ने परिवादी द्वारा दी गई रिश्वती राशि अपने हाथ मे लेते हुए परिवादी को यह कहकर वापस लौटा दी की यह तो एक हजार रूपये ही है इस पर परिवादी द्वारा शेष रिश्वती राशि के 4000/- रूपये कही गिर जाना बताते हुए एक हजार रूपये वापस ले लिए जो परिवादी के पास से बरामद हुए है। जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपिया श्रीमती संगीता मीना पत्नि श्री पवन कुमार मीना, जाति मीना, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रानोली, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर हाल पुलिस उप निरीक्षक, थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर को निमयानुसार गिरफतार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपिया श्रीमती संगीता मीना पत्नि श्री पवन कुमार मीना, जाति मीना, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रानोली, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर हाल पुलिस उप निरीक्षक, थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मानवेन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती संगीता मीना पत्नी पवन कुमार मीना, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना जमवारामगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 450/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3889-92 दिनांक 24.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।